<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>02.04.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जगदीश कुमार अरोड़ा और अन्य के मामले में **दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी)** के तत्कालीन मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा और उनकी पत्नी श्रीमती अलका अरोड़ा, मैसर्स इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज के मालिक अनिल कुमार अग्रवाल (उप ठेकेदार) और मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डीजेबी के ठेकेदार) से संबंधित कुल **8.80 करोड़ रुपए** कीमत की विभिन्न चल एवं अचल संपतियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। उक्त अचल संपत्तियां दिल्ली में स्थित हैं।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) में भ्रष्टाचार/रिश्वतखोरी से संबंधित अनुसूचित अपराध के मामले में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि जगदीश कुमार अरोड़ा [तत्कालीन मुख्य अभियंता, डीजेबी] ने दिल्ली जल बोर्ड के फ्लो मीटर का ठेका मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अत्यधिक बढ़ी हुई कीमत 38 करोड़ रुपए में दिया जबकि उक्त कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी ।

ईडी की जांच से पता चला कि मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली/फर्जी/झूठे दस्तावेज जमा करके ठेका प्राप्त किया। जगदीश कुमार अरोड़ा इस तथ्य से अवगत थे कि कंपनी निविदा को मंजूरी देने के लिए तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती है। मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अनिल कुमार अग्रवाल की स्वामित्व वाली फर्म मैसर्स इंटीग्रल स्क्रूज़ लिमिटेड को काम का उप-ठेका दिया। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्राप्त 24 करोड़ रुपए में से ठेके के काम में केवल 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए और शेष राशि रिश्वत देने में खर्च कर दी गयी। जगदीश कुमार अरोड़ा को 3.19 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली जिसमे से उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारियों को और **आम आदमी पार्टी** को चुनावी राशि के रूप में अंतरित कर दिए।

ईडी ने पहले 24-07-2023 और 17-11-2023 को तलाशी अभियान चलाया था जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए थे। ईडी ने 31-01-2024 को जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था और दोनों आज तक न्यायिक हिरासत में हैं। जगदीश कुमार अरोड़ा, अनिल कुमार अग्रवाल और उनके करीबी सहयोगियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत 28-03-2024 को दायर की गई है।

आगे की जांच जारी है।